2024/30

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

केस्स मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
17	24/24	24/1/2024		2/2/2024

निर्णय हेतु

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ~~निवासी बिजौलिया~~

श्री मॉगी बाई पुत्री सूरजा जाति भील निवासी शम्भुपुरा तह. बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार

TDR

मदयून

श्री Ex-Par

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 26

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

राजस्थान सरकार बनाम मांगी बाई आदि

रस्म मुकदमा 177 नम्बर 24 सन 2024

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
/1 024	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 2/2/2024 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
/2/24	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। विपक्षी (1) की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी (2) की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए पुन: संशोधित शीर्षक पेश हो। पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक/कायम मुकाम आगामी दिनांक 9/2/24 को पेश हो।	
/2/24	पत्रावली पेंश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 23/2/24 को वास्ते का.मु. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
3/2/24	पत्रावला पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 15/3/24 को वास्ते का.मु. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...7	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार द्वारा रिपोर्ट शीर्षक पेश। पत्रावली वास्ते तलबाना/तामील आगामी दिनांक 30/9/24 को पेश हो। [signature]	
...4	[प]त्रावली पेश ... [अभिभा]षक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमा[न] ... दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 23/10/24 व तलबाना/तामील पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी	उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भील.)
...24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 12-11-24 को वास्ते तलबाना/तामील पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी	
...11/24	पत्रावली पेश हुई मृतक प्रतिवादी के वारिसान को तामील जारी हो। पत्रावली वास्ते गौर तलबी आगामी पेशी दिनांक 28/11/24 को पेश हो। [signature]	
28/11/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते गौर तलबी (तलबी) आगामी दिनांक 12/12/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भील.)	
...2/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 14/1/25 को वास्ते तलबी पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी	
...1/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 6/2/25 को वास्ते तलबी पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी	

FORM NO. III

APP- A
Crim-5

फर्द अहकाम
(नियम 26)

SDO मुकाम बिजौलिया

राजस्थान सरकार बनाम मोगीबाई

मा 177RTA नं. 24/2024 वर्ष

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली को स्वीकार किया गया। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भील.)	

राजस्थान सरकार

यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

वादपत्र संख्या 24 / 2024 दायर तारीख 24.01.2024

अनवान्

01. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........वादी

बनाम्

01. मांगी बाई पुत्री सूरजा जाति भील उम्र वयस्क निवासी शम्भुपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

02. रामस्वरूप पुत्र सूरजा जाति भील उम्र वयस्क निवासी शम्भुपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा। मृतक

2.1 कैलाश पुत्र रामस्वरूप जाति भील उम्र वयस्क निवासी शम्भुपुरा हाल मुकाम आंट तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

2.2 जशोदा पुत्री रामस्वरूप पत्नि धनराज जाति भील उम्र वयस्क निवासी शम्भुपुरा हाल मुकाम आंट तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार। ....अधिवक्ता वादी।

2. एक पक्षीय कार्यवाही .....अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 18 / 03 / 2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी तहसीलदार बिजौलियां ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा कि ग्राम देवीनिवास पटवार मण्डल कांस्या भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 45 में अंकित खसरा नम्बर 16 क्षेत्रफल 2.5090 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय एवं खसरा नम्बर 16/1 क्षेत्रफल 0.0243 हैक्टेयर किस्म गेमु चाह कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 2.5333 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगणों द्वारा कृषि कार्य नहीं किया गया। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 16 क्षेत्रफल 2.5090 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 16/1 क्षेत्रफल 0.0243 हैक्टेयर कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 2.5333 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगणों को केवल कृषि कार्य करने का अधिकार था, परन्तु प्रतिवादीगणों ने उक्त भूमि पर अकृषि कार्य कर भूमि पर खनन कार्य का रलाव/मलबा डाला हुआ है। वर्तमान में भी भूमि पर रलाव पड़ा हुआ उक्त आराजी पर प्रतिवादीगणों को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादी द्वारा भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोग नहीं लिया गया। प्रतिवादी ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नहीं कर अवहेलना करने से भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने योग्य है। अतः प्रतिवादीगण की उक्त आराजीयात को खारीज कर बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दिनांक 24.01.2024 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी 01 का नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ। जिसको शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी 01 बाद सूचना अनुपस्थित रहा। विपक्षी 01 को 03 बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ विपक्षी 01 के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। विपक्षी 02 के फोत होने की जानकारी प्राप्त हुई। तहसीलदार बिजौलियां को विपक्षी 02 के वारिसान की सूचना के लिए तहरीर जारी की गई। तहसीलदार बिजौलियां से मृतक के वारिसान की सूचना प्राप्त हुई। पैरोकार सरकार ने संशोधित शीर्षक पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया । मृतक के वारिसान को तामील भेजी गई। मृतक के वारिसान की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

मृतक के वारिसान बाद सूचना अनुपस्थित रहें। मृतक के वारिसान के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली को साक्ष्यवादी के स्तर पर रखा गया। साक्ष्यवादी में पटवार मण्डल कांस्या की पटवारी ममता पंकज के बयान लेखबद्ध किए गए। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

दस्तावेजी साक्ष्य/वाद पत्र में तहसीलदार बिजौलियां ने प्रमाणित मौका पर्चा, ग्राम देवीनिवास पटवार हल्का कांस्या कलां सम्वत 2076 से 2079 तक खाता संख्या 45 में अंकित खसरा संख्या 16 रकबा 2.5090 क्षेत्रफल एवं खसरा 16/1 रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि की जमाबंदी नकल पेश की जो शामिल पत्रावली है साथ ही उक्त भूमि का नक्शा ट्रेस, लोकेशन वाला फोटो, गुगल अर्थ वाला फोटो पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई एवं साक्ष्य/दस्तावजों का अध्ययन/मनन किया गया। तहसीलदार बिजौलियां द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन/मनन किया। पत्रावली के सभी दस्तावेजों को ध्यान में रखते एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनने के बाद पत्रावली में आदेश पारित किए जाते हैं कि:-

-: आदेश :-

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम देवीनिवास पटवार मण्डल कांस्या भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 45 में अंकित खसरा नम्बर 16 क्षेत्रफल 2.5090 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय एवं खसरा नम्बर 16/1 क्षेत्रफल 0.0243 हैक्टेयर किस्म गेमु चाह कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 2.5333 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगणों द्वारा कृषि कार्य नहीं किया गया। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 16 क्षेत्रफल 2.5090 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 16/1 क्षेत्रफल 0.0243 हैक्टेयर कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 2.5333 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगणों ने अकृषि कार्य किया जबकि उक्त भूमि पर केवल कृषि कार्य का प्रतिवादीगणों को अधिकार था, इसलिए उक्त भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। तहसीलदार बिजौलियां भूमि को बिलानाम सरकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर पालना न्यायालय को शीघ्र भिजवाऐं। डिक्री मूर्तिब हो। तहसीलदार बिजौलियां को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 18/03/**2025** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

दायर तारीख 24.01.2024

त्र संख्या 24/2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)। ....डिकीदार।

बनाम्

मांगी बाई पुत्री सूरजा जाति भील उम्र वयस्क निवासी शम्भुपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
रामस्वरूप पुत्र सूरजा जाति भील उम्र वयस्क निवासी शम्भुपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा। मृतक
2.1 कैलाश पुत्र रामस्वरूप जाति भील उम्र वयस्क निवासी शम्भुपुरा हाल मुकाम आंट तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
2.2 जशोदा पुत्री रामस्वरूप पत्नि धनराज जाति भील उम्र वयस्क निवासी शम्भुपुरा हाल मुकाम आंट तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा। .... मदयून।

.......डिकीदार।
.......मदयून।

स्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार।
2. एक पक्षीय कार्यवाही

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 18/03/2025

डिकी दिनांक 18/03/2025

–:डिक्री:–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार कार के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम देवीनिवास पटवार मण्डल कांस्या भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 45 में अंकित खसरा नम्बर 16 क्षेत्रफल 2.5090 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय एवं खसरा नम्बर 16/1 क्षेत्रफल 0.0243 हैक्टेयर किस्म गेमु चाह कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 2.5333 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगणों द्वारा कृषि कार्य नहीं किया गया। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 16 क्षेत्रफल 2.5090 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 16/1 क्षेत्रफल 0.0243 हैक्टेयर कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 2.5333 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगणों ने अकृषि कार्य किया जबकि उक्त भूमि पर केवल कृषि कार्य का प्रतिवादीगणों को अधिकार था, इसलिए उक्त भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। तहसीलदार बिजौलियां भूमि को बिलानाम सरकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर पालना न्यायालय को शीघ्र भिजवाएं। तहसीलदार बिजौलियां को पालनार्थ तहरीर जारी हो। डिकी मूर्तिब की गई। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

नीज ....Nil............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे ।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह मार्च वर्ष 2025 को जारी किया गया ।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
टाम्प अरजीदया टाम्प वकीलात नामा टाम्प वजह सबूत हनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बावत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान			स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान		

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां